१४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक

जिला....., सं०....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
08/08/23	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः-31/2023** **प्रतिमा कुमारी.....पुनरीक्षणकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद प्रतिमा कुमारी, पति-देवव्रत कुमार, मोहल्ला-भिरखी गरीब टोला, वार्ड नं०-26, मधेपुरा, थाना+जिला-मधेपुरा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उनके द्वारा दायर C.W.J.C No.-1981/2019 में दिनांक 02.02.2023 को पारित आदेश के आलोक में जिला चयन समिति, मधेपुरा द्वारा नगर परिषद, मधेपुरा के वार्ड नं०-26 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु किये गये चयन के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी/डीलर विभा कुमारी, पति-सरोज कुमार, सा०-भिरखी गरीब टोला, वार्ड नं०-26, नगर परिषद क्षेत्र मधेपुरा, थाना+जिला-मधेपुरा को विपक्षी सं०-06 बनाया गया है। पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 तथा विभागीय निदेशानुसार मधेपुरा जिलान्तर्गत नगर परिषद सहित विभिन्न प्रखंड में विभिन्न कोटि के रिक्त पदों के विरूद्ध अनुमोदित रोस्टर के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकान को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया। तदालोक में मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नं०-26 के लिए अनारक्षित (महिला) कोटि में जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु पुनरीक्षणकर्त्ता के साथ-साथ 05 अन्य आवेदकों ने आवेदन किया। जाँचोपरान्त पुनरीक्षणकर्त्ता सहित 03(तीन) अभ्यर्थियों के आवेदन को जिला चयन समिति के समक्ष रखने हेतु अनुशंसा की गई, किन्तु विपक्षी सं०-06 के आवेदन पत्र के लिए उक्त अनुशंसा नहीं की गई। अनुशंसित उक्त 03(तीन) आवेदिकाओं में पुनरीक्षणकर्त्ता प्रतिमा देवी सर्वोच्च योग्यताधारी थी, जिसका चयन किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं कर जिला चयन समिति के द्वारा अंतिम सूची का प्रकाशन कर गैर अनुशंसित अभ्यर्थी	

विपक्षी सं0-06 विभा कुमारी के चयन की अनुशंसा कर दी गई। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि विचार का मुख्य बिन्दु यह है कि विपक्षी सं0-06 के पास गोदाम नहीं था। उनकी योग्यता बी0ए0 एवं कम्प्यूटर दक्ष थी, किन्तु उनके पास केवल कच्चा फर्श वाला फूस का गोदाम था, जो किसी भी तरह से खाद्यान्न भंडारण के लिए आवश्यक शर्त्त को पूरा नहीं करता था। जिस कारण ही अन्य उम्मीदवारों की तरह उन्हें जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु चयन करने की अनुशंसा नहीं की गई थी। पुनंरीक्षणकर्त्ता तथा दो अन्य उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा किये जाने तथा उक्त तीनों उम्मीदवारों में पुनरीक्षणकर्त्ता के पास उच्च योग्यता होने के बावजूद उन्हें पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति नहीं प्रदान की गई। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि यह अत्यन्त दुखद एवं स्तब्ध करने वाला है कि उपरोक्त तथ्यों के बावजूद स्वतंत्र पक्षकार विपक्षी सं0-06 को उनकी योग्यता के आधार पर एक मात्र अभ्यर्थी दर्शाते हुए अंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई, जिसमें अनुज्ञप्ति प्रदान करने से संबंधित अन्य शर्त्तों की अनदेखी की गई। पुनरीक्षणकर्त्ता का यही भी कहना है कि इस संबंध में उनके द्वारा दिनांक 05.09.2018 को अपनी आपत्ति दर्ज करायी गई, किन्तु जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा भी उक्त आपत्ति का संज्ञान नहीं लिया गया। उनके अनुसार विपक्षी सं0-06 को प्रदत्त जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति अवैध, अनुचित, अन्यायपूर्ण, मनमाना तथा दुर्भावनापूर्ण होने के साथ ही कानूनी प्रावधान के विरूद्ध है तथा नाजायज रूप से संतुष्ट होकर निर्गत किया गया है। पुनरीक्षणकर्त्ता के पास आवश्यक योग्यता एवं पी0डी0एस0 दुकान हेतु आवश्यक गोदाम भी है। तदालोक में पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा विपक्षी के गैर कानूनी चयन को रद्द करते हुए आवेदिका के पक्ष में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-06 की ओर से दाखिल लिखित जबाव तथा बहस में भाग लेते हुए उनके विज्ञ अधिवक्ता का मूल रूप से कहना है कि उन्हें सबसे ऊँची योग्यता बी0ए0 (गृह विज्ञान प्रतिष्ठा) एवं कम्प्यूटर योग्यता रहने तथा उनके पास उपयुक्त गोदाम रहने के आधार पर मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार उनका चयन किया गया है। उनका कहना है कि सारे सबूतों के जाँच के बाद ही उनका चयन किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार सही है। उनका यह भी कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता के पति राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, इसलिए भी वे जन वितरण प्रणाली दुकान के योग्य नहीं है। तदालोक में उनके द्वारा इस आपूर्ति पुनरीक्षणवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि वादी का दावा बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अनुरूप नहीं है। जिला चयन समिति, मधेपुरा के द्वारा मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप उच्च योग्यता

एवं अन्य शर्त्तो को पूर्ण करने के आधार पर किया गया चयन सही है तथा उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदालोक में प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल. सहरसा।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल. सहरसा।

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2179 /विधि सहरसा, दिनांक 10-8-2023

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आपूर्ति पुन0वाद सं0-31/2023 में दिनांक-08.08.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 252/आ0, दिनांक 17.04.2023 से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्रीमती प्रतिमा कुमारी, पति-देवव्रत कुमार / विभा कुमारी, पति-सरोज कुमार, दोनों सा0-भिरखी गरीब टोला, वार्ड नं0-26, नगर परिषद क्षेत्र, मधेपुरा, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिप :- आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।